वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 14.10.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर" अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, न्यायाधीश, यूनाइटेड भारत, परफेक्ट मिशन,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 14.10.2025

वीडीए के कर्मियों का होगा कौशल विकास

वाराणसी। मिशन कर्मयोगी के तहत वीडीए के कर्मचारियों का कौशल विकास किया जा रहा है। नोडल अधिकारी आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि आई गॉट पोर्टल के जरिये उन्हें विभिन्न जानकारी दी जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि किस प्रकार ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता एवं नैतिक कार्यशैली के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाएंगे। इससे न केवल कार्यप्रणाली की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में सहायक होगा, बल्कि अधिकारियों व कर्मचारियों को जनहित में और अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बनाएगा। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 14.10.2025

दो बीघे की अवैध प्लॉटिंग कराई ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए की ओर से सोमवार को दो बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि सिकरौल वार्ड के औरा में अज्ञात की ओर से 2 बीघे में बिना लेआउट स्वीकृत कराए अवैध प्लॉटिंग कराई जा रही थी। उप्र नगर नियोजन और विकास अधिनियम में पहले भी नोटिस दिया गया था। ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया था। ब्यूरो

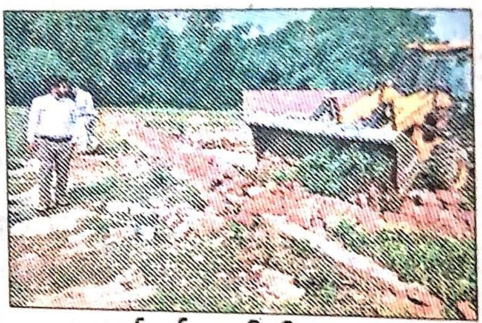

कार्रवाई करती टीम। स्वयं

अमर उजाला–दि0 14.10.2025

वीडीए ने 26.19 करोड़ की दी छूट

वाराणसी। राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत पर्यटन नीति–2022 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों में विकास शुल्क में शत-प्रतिशत छूट का प्रावधान है। पर्यटन नीति 2022 लागू होने के बाद 24 मानचित्र स्वीकृत करते हुए विकासकर्ताओं को बाह्य विकास शुल्क में 26.19 करोड़ की छूट दी गई है। वीडीए ने वर्तमान में 1450 प्रति वर्गमीटर भूखंड क्षेत्रफल पर विकास शुल्क लगाया है। सुनियोजित और संतुलित विकास के लिए संकल्पित है। साथ ही जनहितैषी नीतियों का लाभ जनमानस तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। शासन की नीतियां क्षेत्र में सुव्यवस्थित और नियोजित विकास को प्रोत्साहित करती है, जिससे वाराणसी को आधुनिक स्वरूप दिया जा सके। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 14.10.2025

औरा में अवैध प्लाटिंग को किया ध्वस्त

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण के वार्ड-सिकरौल के औरा बिना नक्शा पास कराए अवैध प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था। इनको नोटिस दिया गया लेकिन कोई पहल नहीं करने पर वीडीए दस्ते ने ध्वस्त कर दिया। मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। उन्होंने चेताया कि आम जन मानस से अपील की गई है कि वीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्तान–दि0 14.10.2025

दो बीघा में हुई अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने सोमवार को सिकरौल जोन के औरा में दो बीघा में अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धाराओं में वीडीए ने पहले नोटिस दिया था, लेकिन निर्माण कार्य जारी रखने पर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया था। इस मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, जेई रोहित कुमार आदि मौजूद रहे।

यूनाइटेड भारत–दि0 14.10.2025

उपाध्यक्ष के निर्देश पर अवैध प्लाटिंग का ध्वस्तीकरण

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष के निर्देश में जोन-01 में 02 बीघा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।' वाराणसी विकास प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड-सिकरौल, औरा के अंतर्गत अज्ञात द्वारा लगभग 2 बीघा में बिना ले-आउट स्वीकृत कराये अवैध

प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था। उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (1) व 28(11) के अन्तर्गत पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, जिसके उपरांत ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया था। प्राधिकरण टीम द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 14.10.2025

वाविप्रा जोन-01 में 02 बीघा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-01 में 02 बीघा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-सिकरौल, औरा के अंतर्गत अज्ञात द्वारा लगभग 2 बीघा में बिना ले-आउट स्वीकृत कराये अवैध प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था। उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27. 28 (1) व 28(11) के अन्तर्गत पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, जिसके उपरांत ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया था। उक्त के क्रम में आज दिनांक 13/10/2025 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी है।मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

[redacted]

परफेक्ट मिशन–दि0 14.10.2025

वीडीए जोन 01 की प्रवर्तन टीम ने दो बीघा अवैध प्लॉटिंग को किया ध्वस्त

वाराणसी (परफेक्ट मिशन)। वीडीए उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-01 में 02 बीघा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। जिसमें वार्ड-सिकरौल, औरा के अंतर्गत अज्ञात द्वारा लगभग 2 बीघा में बिना ले-आउट स्वीकृत कराये अवैध प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था।

उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27. 28 (1) व 28(11) के अन्तर्गत पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, जिसके उपरांत ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया था। इस क्रम में सोमवार को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी है। इस दौरान मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।